# मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर - दिसम्बर, 1995 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 1995 (अग्रहायण 10, 1917)
समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, देवास जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मियों द्वारा निःशुल्क वितरित की जाने वाली पुस्तकें खुले बाजार में बेची जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रघुनंदन शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम कस्बाताल में असामाजिक तत्वों द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री मांगीलाल भण्डारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के पीलूखेड़ी स्थित उद्योगों के प्रदूषण से फसलों की क्षति होने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री मोती कश्यप, बाबूलाल गौर, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, जबलपुर नगर निगम द्वारा वर्षों पूर्व बनी दुकानों को अवैधानिक तरीके से तोड़े जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. गोविंद सिंह, सदस्य, भिंड जिले की भाण्डेर नहर प्रणाली से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम द्वारा रायपुर में एक टिन संयंत्र निजी फर्म को बेचे जाने में हुई अनियमितता की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, सागर के गोपाल गंज थाने में मारपीट से एक वृद्ध की मृत्यु हो जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री रघुनंदन शर्मा, सदस्य, राजनांदगांव जिले की गंडई-पंडरिया पुलिस चौकी के कर्मियों द्वारा एक व्यक्ति को प्रताड़ित किये जाने की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री बच्चन नायक, रामलखन शर्मा, सदस्य, मुरैना पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री शिवप्रताप सिंह (सूरजपुर), सदस्य, सरगुजा जिले के ग्राम लखनपुर एवं करकोटी में वृक्षों की अवैध कटाई कर भूमि का पटटा दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री मोती कश्यप, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव के निकट जनपद उपाध्यक्ष पर बमों से हमले की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, रघुनंदन शर्मा, सदस्य, बिलासपुर की कोरबा स्थित विद्युत इकाइयों के प्रदूषण से पेयजल प्रदूषित होने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री किशोरीलाल वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के जावर थानान्तर्गत फसलों की चोरी की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम का बावई फार्म निजी फर्म को सौंपे जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) कुंवर विजय शाह, सदस्य, खण्डवा जिले के हरसूद विधान सभा क्षेत्र में इंदिरा सागर बांध के प्रभावित कृषकों को पूर्ण मुआवजा राशि न मिल पाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री बच्चन नायक, रामलखन शर्मा, रामदयाल प्रभाकर, सदस्य, जबलपुर जिले के बरही थानान्तर्गत कुटेश्वर लाइम स्टोन माइन्स के श्रमिकों पर लाठीचार्ज किये जाने की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

--- 2--

3. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 66 - रीवा के सदस्य श्री पुष्पराज सिंह को नवम्बर-दिसम्बर,1995 सत्र में दिनांक 9 दिसम्बर,1995 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

निर्धारित समय

4. वर्ष 1995-96 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च,1996 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76 तथा 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक सौ छब्बीस करोड़, अड़तालीस लाख, तिरेपन हजार, छः सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

2 घन्टे

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 1995 (क्रमांक 38 सन् 1995) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

6. अशासकीय संकल्प

25 मि. (1) श्री मांगीलाल भण्डारी, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक पटवारी हल्के पर उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाय."

25 मि. (2) श्री रामलखन सिंह (त्योंथर), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का यह मत है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पंचायत एवं नगर निगम की सीमा में श्मशान एवं कब्रिस्तान हेतु शासन भूमि आरक्षित करे.

20 मि. (3) श्री मोती कश्यप, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का यह मत है कि रेत निकासी के ठेके तटवर्ती मछुआ जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की सहकारी समितियों को क्रमशः प्राथमिकतानुसार प्रदान कराये जायें."

35 मि. (4) श्री रामकिशोर शुक्ल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का यह मत है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की स्थापना की जाये."

15 मि. (5) श्रीमती जयश्री बैनर्जी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

"यह सदन जबलपुर से कलकत्ता, बैंगलोर, अहमदाबाद सीधे तीव्र गति की रेल चलाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है."

भोपाल:
दिनांक: 30 नवम्बर, 1995

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा